न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 121/2015
दायर दिनांक : 09/09/2015
निर्णय दिनांक : 16/12/2025

उनवान

1. महेन्द्रसिंह आत्मज जोधसिंह राजपूत निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
2. श्री दिलीपसिंह आत्मज जोधसिंह राजपूत निवासी ताणा तहसीलभूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामसिंह पिता प्यारसिंह राजपूत निवासी गिलूण्ड़ मजरा ताणा तहसील भूपालसागर
2. श्री राधेश्याम पिता प्यारसिंह राजपूत निवासी गिलूण्ड़ मजरा ताणा तहसील भूपालसागर
3. मु. प्रेमापुत्री प्यारसिंह राजपूत निवासी गिलूण्ड़ मजरा ताणा तहसील भूपालसागर
4. मु. उगमा पुत्री प्यारसिंह राजपूत निवासी गिलूण्ड़ मजरा ताणा तहसील भूपालसागर
5. मु. नर्बदा पुत्री प्यारसिंह राजपूत निवासी गिलूण्ड़ मजरा ताणा तहसील भूपालसागर
6. मु. पार्वती बेवा प्यारसिंह राजपूत निवासी गिलूण्ड़ मजरा ताणा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री बालेन्द्र कोठारी, अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि हम प्रार्थीगण ने न्यायालय आप में उक्त अनवान का वादपत्र पेश कर दिया। वादपुत्र सुदृढ तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिक्री होगा लेकिन वादपत्र की कुलिया सुनवाई होने में लम्बा समय लगेगा इस कारण प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं। ग्राम गिलूण्ड़ मजरा ताणा तहसील भूपालसागर में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आ.सं. 326 रकबा 0.73 है., आ.सं. 329 रकबा 0.01 है. चाअ, आ.सं. 330 रकबा 0.24 है., आ.सं. 351 रकबा 0.22 है., आ.सं. 346 रकबा 0.47 है. स्थित है जो प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त में है। उक्त आराजियात के साबिक पैमायश में आराजी नंबर 266, 271, 270, 267 थे और उक्त आराजियात प्रार्थीगण ने सागरबाई (सगाबाई) पत्नी गिरधारीसिंह दरोगा निवासी जलखेड़ी तहसील डूंगला से दिनांक 26.11.1982 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तादादी रूपया 25,000/ रूपया में क्रय की व कब्जा प्राप्त किया व उक्त आराजियात क्रय करने के बाद उक्त आराजी 271 (हाल नंबर 329) पर सन् 1983 में प्रार्थीगण ने लगभग एक लाख रूपया खर्च कर नया कुआं खुदाया व बंधाया तथा इस पर विद्युत कनेक्शन कराया व इससे दिगर क्रयशुदा आराजियात को सिंचित करते रहे हैं। अप्रार्थीगण के कब्जेशुदा आराजी नंबर 350 रकबा 0.19 है. स्थित है जो अप्रार्थीगण के पिताव पति प्यारसिंह ने समरता उर्फ अमरता पिता भैरा दरोगा निवासी गिलूण्ड़ से दिनांक 16.02.1978 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है और विक्रय पत्र में इसको पडौस दर्ज किये हैं व उक्त आराजी साबिक चाह नंबर 269 से पीवल होती थी मगर उक्त चाह मिसमार होकर खड्डा बन गया है। अतः विक्रय पत्र में आ.सं. 270 में स्थित चाह से उसको सिंचित करने का अधिकार विक्रेता ने अप्रार्थीगण के पिता को दिया और उक्त चाह भी वर्तमान में मिसमार होकर खड्डेनुमा है। उक्त सभी आराजियात का खातेदार पहले समरता उर्फ अमरता पिता भैरा दरोगा ही था और उससे सागरबाई पिता गिरधारीसि[illegible] ने आराजियात क्रय की व प्रार्थीगण को विक्रय की तथा समरता उर्फ अमरता से ही अप्रार्थीगण [illegible] पिता व पति प्यारसिंह ने जमीन क्रय की है। प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र [illegible] नंबर 274 के बजाय आराजी नंबर 271 अंकित कर दिया जबकि प्रार्थीगण को विक्रेता ने आराजी नंबर 271 विक्रय की व कब्जा दिया व विक्रय से पूर्व आराजी 271 पर ही विक्रेता का क[illegible] भी था और उक्त आराजी नंबर 271 प्रार्थीगण की अन्य आराजी नंबर 266, 267, 270, 272 के साथ मिली होकर एक चक है व चारों और

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.05 18:25:29 IST
Reason: Self Attested

पुरानी थोहर की बाड लगी है व नया चाह भी उक्त आराजी नंबर 271 में प्रार्थीगण ने खुदाया व विद्युत कनेक्शन लिया व इससे अपनी आराजियात सिंचित कर रहे हैं। अप्रार्थीगण की क्रयशुदा व कब्जेशुदा आराजी नंबर 274 (हाल नंबर 350) है और उक्त जमीन अप्रार्थीगण की दक्षिण व पूर्व दिशा में स्थित अपनी अन्य आराजियात से मिली हुई है व पृथक कोई बाड नहीं है। उक्त आराजी नंबर 271 के हाल पैमायश में आ.सं. 329, 330, बने हैं तथा आराजी नंबर 274 के हाल पैमायश में आ.सं. 350 बने है। विक्रय पत्रों में आराजियात को उक्त गलत अंकन होने से आ.सं. 271 (हाल नंबर 329, 330) अप्रार्थीगण के नाम पर और आराजी नंबर 274 (हाल नंबर 350) प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज हो गई जो गलत है व उलट पुलट दर्ज हो गई है। अतः उक्त इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर आराजी नंबर 329, 330 प्रार्थीगण के नाम पर व आ.सं. 350 अप्रार्थीगण के नाम पर अंकित कियाजाना आवश्यक है चूंकि इसी अनुसार पक्षकारों का कब्जा है। उक्त गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाने की गरज से व आ.सं. 329 में प्रार्थीगण के द्वारा खुदाये चाह को गलत रूप से अपना बनाने हेतु अप्रार्थीगण आराजियात व चाह पर नाजायज कब्जा करने की धमकी देते हैं। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण अपने कब्जे की आराजी नं. 329, 330 व चाह से वंचित हो जावेगा तो उसकी असीमित क्षति व भारी असुविधा होगीव पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद होगें। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान किया जावे कि अप्रार्थीगण के कब्जेशुदा चाह व आराजी नंबर 326, 329, 330, 351, 346 में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें व काश्त में बाधा नहीं डाले व फसल, बाड, पेडों आदि को नुकसान नहीं पहुंचावे ऐसा करें न अपने परिवार के सदस्य या नौकर एजेंट से करावें इस हेतु प्रेरित न करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शब्बीर मोहम्मद ने अधिकार पत्र, जवाब प्रस्तुत नहीं करने से इनका जवाब दिनांक 12.11.24 को बंद किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं, पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया जाता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी किया जावे। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा किसी प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.05 18:25:29 IST
Reason: SelfAttested